फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत—उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

जसवन्त सिंह पिता स्वरूप सिंह राजपुत निवासी आमल्दा

बनाम

रामकिशन पिता जगनाथ गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए मुकदमा नंबर 253/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
01/05/2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम लाडी जी का खेडा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 140, 246, 32, 33 कुल किता 04 रकबा 3.8448 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम लाडी जी का खेडा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 140, 246, 32, 33 कुल किता 04 रकबा 3.8448 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 3000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अंदा करेगा, उनमे से 3 00रू राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।** पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा	

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक / रीडर / 2024 / 253 / 2024 दिनांक– 01 / 05 / 2024

निमित्त–

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:– प्र.स. 253 / 2024 जसवन्त सिंह पिता स्वरूप सिंह राजपुत निवासी आमल्दा बनाम रामकिशन पिता जगनाथ गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, भोजा पिता उरज्या गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, नारायण पिता हरला गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, भैरू पिता कल्याण गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, रणजीत पिता हरला गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, सावर लाल पिता उदा गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, रामस्वरूप पिता देवकरण गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, रगा पिता सोजी गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, सुरजमल पिता गेता गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, प्रभु लाल पिता सुरजमल गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, राजु पिता सुरजमल गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, चर्तुरभुज पिता खुमा गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, हाथीडा पिता हरला गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, गणेश पिता सग्राम गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, राम लाल पिता हाथीडा गुर्जर निवासी लाडी जी का खेडा, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम लाडी जी का खेडा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 140, 246, 32, 33 कुल किता 04 रकबा 3.8448 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 3000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 300 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner